भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1717

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

भू-जल का संदूषण

1717. सुश्री नुसरत जहां रूही:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार जल में आर्सेनिक और अन्य रासायनिक पदार्थों के पाए जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए व्यय की गई निधि की शीर्ष-वार मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और समीपवर्ती जिलों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड पूरे देश में विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और भूजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकड़े तैयार करता है। यह अध्ययन देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग पॉकेटों में बीआईएस की अनुमत्य सीमा से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाईट्रेट, लोह और भारी धातुओं की मौजूदगी को दर्शाता है। भूजल में संदूषण का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या को पीने का जल प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग देता है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की शक्ति राज्यों के पास निहित है। जेजेएम के तहत राज्यों को दी गई निधि का प्राथमिकता आधार पर जल की गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में स्कीमों को शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

मार्च, 2016 में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों को लगाने और पाइप्ड जल आपूर्ति शुरू करने की स्कीमों के लिए विभिन्न आर्सेनिक और फ्लोराईड प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य को 236.98 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

इसके अतिरिक्त मार्च, 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसे अब देश

में आर्सेनिक / फ्लोराईड प्रभावित ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मिला दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य को 1305.7 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत राज्यों को वर्षवार जारी और उनके द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये)

क्र.□□	वित्तीय वर्ष	जारी	व्यय
1	2016-17	814.13	384.36
2	2017-18	2011.55	934.57
3	2018-19	864.66	665.94
4	2019-20	-	214.41
□□□		**3690.34**	**2199.30**

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित किए गए केन्द्रीय व्यय का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है1

*****

अनुलग्नक-[illegible]

''[illegible] [illegible] [illegible]'' के संबंध में दिनांक 28.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1717 [illegible] ([illegible]) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत में भूजल में विभिन्न संदूषणों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.[illegible]	राज्य/संघशासित प्रदेश	[illegible] (3000 माइक्रो [illegible]/[illegible] से अधिक ईसी ([illegible] विद्युत चालकता	फ्लोराईड (1.5 मिग्रा/ली से अधिक)	नाईट्रेट (45 मिग्रा/ली [illegible] अधिक)	आर्सेनिक (0.01 मिग्रा/ली से अधिक)	[illegible] (1मिग्रा/ली से अधिक)	[illegible] (0.01 मिग्रा/ली से अधिक)	कैडमियम (0.003 मिग्रा/ली से अधिक)	क्रोमियम (0.05 मिग्रा/ली से अधिक)
1	आंध्र प्रदेश	12	12	13	3	7			
2	तेलंगाना	8	10	10	1	8	2	1	1
3	असम		9		19	18			
4	अरुणाचल प्रदेश					4			
5	बिहार		13	10	22	19			
6	छत्तीसगढ़	1	19	12	1	17	1	1	1
7	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
8	गोवा					2			
9	गुजरात	21	22	24	12	10			
10	हरियाणा	18	21	21	15	17	17	7	1
11	हिमाचल प्रदेश			6	1				
12	जम्मू और कश्मीर		2	6	3	9	3	1	
13	झारखंड		12	11	2	6	1		
14	कर्नाटक	29	30	29	2	22			
15	केरल	4	5	11		14	2		1
16	मध्य प्रदेश	18	43	51	8	41	16		
17	महाराष्ट्र	25	17	30		20	19		
18	मणिपुर		1		2	4			
19	मेघालय		1			6			
20	नगालैंड		1			1			
21	ओडिशा	17	26	28	1	30			1
22	पंजाब	10	19	21	10	9	6	8	10
23	राजस्थान	30	33	33	1	33	3		
24	तमिलनाडु	28	25	29	9	2	3	1	5
25	त्रिपुरा					4			
26	उत्तर प्रदेश	13	34	59	28	15	10	2	3
27	उत्तराखंड			4		5			
28	पश्चिम बंगाल	6	8	5	9	16	6	2	2
29	अंडमान और निकोबार	1				2			
30	दमन और दीव	1		1	1				
31	पुदुच्चेरी			1					
	कुल	18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 249 जिलों के [illegible]	23 राज्यों [illegible] राज्य क्षेत्रों में 370 [illegible]	23 राज्यों [illegible] राज्य क्षेत्रों में 423 जिलों के [illegible]	21 राज्यों [illegible] राज्य क्षेत्रों में 152 जिलों के [illegible]	27 राज्यों [illegible] राज्य क्षेत्रों में 341 [illegible]	14 राज्यों के 92 जिलों के भागों में [illegible]	9 [illegible] राज्यों के 24 जिलों में [illegible] (कैडमियम)	10 राज्यों के 29 जिलों में [illegible]

अनुलग्नक-II

''□+□□ □□ □□□□'' के संबंध में दिनांक 28.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1717 □□□□□ (□) □□ (□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्न□

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए केंद्रीय व्यय का राज्यवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.□□	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	157.38	267.03	186.28
2	अरुणाचल प्रदेश	95.71	62.93	97.21
3	असम	203.09	387.2	336.25
4	बिहार	470.96	216.1	148.48
5	छत्तीसगढ़	65.66	49.89	43.41
6	गोवा	3.35	1.83	3.07
7	गुजरात	265.16	315.14	223.42
8	हरियाणा	114.2	87.34	94.48
9	हिमाचल प्रदेश	64.73	129.42	85.43
10	जम्मू और कश्मीर	219.94	344.86	251.88
11	झारखंड	157.89	171.47	136.73
12	कर्नाटक	339.83	272.77	433.95
13	केरल	74.21	95.53	84.62
14	मध्य प्रदेश	212.48	163.35	250.43
15	महाराष्ट्र	412.32	187.84	258.4
16	मणिपुर	18.87	68.3	65.11
17	मेघालय	50	87.43	48.71
18	मिजोरम	24.82	25.93	46.46
19	नागालैंड	36.2	18.77	17.36
20	ओडिशा	100.14	93.48	172.45
21	पंजाब	53.56	103.64	112.78
22	राजस्थान	681.21	728.81	878.48
23	सिक्किम	15.21	11.6	21.06
24	तमिलनाडु	175.08	191.4	168.92
25	तेलंगाना	111.89	592.47	420.9
26	त्रिपुरा	38.73	42.77	53.88
27	उत्तर प्रदेश	639.54	616.77	755.08
28	उत्तराखंड	99.69	138.2	91.85
29	पश्चिम बंगाल	423.68	599.45	547.47

स्रोतः आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस

टिप्पणीः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुच्चेरी ने उक्त वर्ष के दौरान आईएमआईएस में केंद्रीय व्यय को अद्यतन नहीं किया है

******